



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.1585 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1585

विषय / Sub: एमएमआर एंटीना, पार्ट सं. एलआरडीई/एसके सं. 2847/एस1

MMR ANTENNA, Part No.: LRDE /SK No.: 2847 / S1

यह घोषित किया जाता है कि एल आर डी ई और ई सी आई एल के टी ओ टी के अंतर्गत एल आर डी ई, डी आर डी ओ, पी.बी.9324, सी वी रामन नगर, बेंगलूरु - 560 093, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (भारत सरकार का उद्यम), एंटीना प्रोडक्ट्स एंड सैटकॉम प्रभाग, हैदराबाद - 500 062, द्वारा उत्पादित " एम एम आर एंटीना",पार्ट सं. एल आर डी ई/एस के सं. 2847/एस1 को संदर्भ सं. रोमिलैक/5070/टीए-1585, दिनांक 09 दिसंबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1585 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1585/1ए दिनांक 17 जून 2013 द्वारा संशोधन जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक थी।

This is to state that the "MMR ANTENNA" bearing the Part No.: LRDE / SK No.: 2487/S1 of LCA, designed and developed by LRDE, DRDO, P.B. 9324, C.V. Raman Nagar, Bengaluru - 560 093 and manufactured by M/s Electronics Corporation of India Limited (A Government of India Enterprises) Antenna Products & SATCOM Division, Hyderabad - 500 062, under TOT between LRDE & ECIL was issued with Type Approval No.: 1585 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 1585, dated 09th December 2010. This was subsequently amended vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1585/1A, dated: 17th June 2013 and is valid up to 31st December 2015.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01दिसंबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 नवंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हैदराबाद), सेमिलैक, डी आर डी ओ, हैदराबाद - 500 042 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st December 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th November 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (HYD), CEMILAC, DRDO, Hyderabad - 500 042, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1585, दिनांक 09 दिसम्बर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA -1585, dated: 09th December 2010 is amended as stated herewith.

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1585 / 1R
दिनांक / Date: 24 December 2018
फैक्स सं. / Fax No.: 080 - 2523 0856

रु

HR.

पी . जयपाल / P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)